सामान्य प्रश्न

पंच/सरपंच

1. पंच सरपंच के चुनाव लडने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी है?
   पंच सरपंच के पद हेतु चुनाव लडने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है।

2. न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख को की जाती है?
   न्यूनतम उम्र की गणना नाम निर्देशन की संवीक्षा के दिवस को जावेगी।

3. पंच/सरपंच का चुनाव लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या है?
   पंच पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। सरपंच पद हेतु 8 वीं पास होना जरूरी है तथा अनुसूचित क्षेत्र में 5 वीं पास होना जरूरी है।

4. पंचायत चुनाव में पंच/सरपंच का चुनाव लडने हेतु सन्तान सम्बन्धी क्या प्रावधान है? क्या मृत संतान की भी गणना होगी?
   पंच सरपंच पद हेतु चुनाव लडने के लिए दो से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में दी गई संतान जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जायेगी।

5. किसी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है?
   कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत के किसी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है वह उस पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ सकता है।

6. पंच को चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है?
   नहीं, उसका ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है।

7. क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent) नियुक्त कर सकता है?
   नहीं, सरपंच अपना (Election Agent) नियुक्त नहीं कर सकता है।

8. सरपंच पद का उम्मीदवार कितने Polling Agent नियुक्त कर सकता है?
   सरपंच पद का उम्मीदवार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक Polling Agent नियुक्त कर सकता है।

9. सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है?
   सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है।

10. पंच/सरपंच पद के चुनाव के लिए खर्च की क्या सीमा है।
    पंच पद के चुनाव के लिए खर्च सीमा नहीं है। सरपंच पद हेतु निर्वाचन व्यय सीमा 20,000 रू है।

11. पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
    पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम है, वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है बशर्ते वह अन्यथा मतदान किये जाने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों से कौन चुनाव लड़ सकता है?
    पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है, जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस पर उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जबकि सामान्य वर्ग के स्थान पर आरक्षित वर्ग सहित सभी चुनाव लड़ने के हकदार होंगें। प्रत्येक वर्ग में महिला के लिए आरक्षित पदों पर उन वर्गो की महिला अभ्यर्थी हो सकेगी।

13. क्या Tender Vote की गणना मतगणना में की जा सकती है?

Tender Vote की गणना मतगणना में नहीं की जा सकती है।

14. पंच/सरपंच पद के उम्मीदवार हेतु कितनी जमानत राशि निर्धारित है?
पंच हेतु कोई जमानत राशि नही होती है। किन्तु सरपंच पद हेतु 500 रूपये निर्धारित है। आरक्षित वर्ग/महिला हेतु यह राशि 250 रूपये निर्धारित है।

15. क्या पंच सरपंच का चुनाव सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक भी लड़ सकता है?
सरकार से किसी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता।

16. क्या सरपंच पद का उम्मीदवार अपनी पत्नी या पति को Election Agent (निर्वाचन अधिकर्ता) नियुक्त कर सकता है?
सरपंच पद के उम्मीदवार को Election Agent नियुक्त करने का प्राधिकार ही नहीं है।

17. Polling Agent (मतदान अभिकर्ता) की नियुक्ति कैसे होती है।
सम्बधित पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर Polling Agent नियुक्त किया जा सकता है।

18. गणना एजेन्ट कैसे नियुक्त होते है?
गणना एजेन्ट हेतु Returning Officer को सम्बन्धित गणना Agent के प्रारूप में आवेदन किया जाता है।

19. क्या पंच/सरपंच के चुनाव दलीय आधार पर होते है ?
नहीं।

20. किसी उम्मीदवार द्वारा नाम वापसी की क्या प्रक्रिया है?
नाम वापसी के अन्तिम दिन नियत समय तक कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नाम वापसी का नोटिस दो प्रतियों में स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत कर अपनी अभ्यर्थीता वापिस ले सकता है। यदि उसने एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र भरे है और वह एक नाम निर्देशन पत्र वापिस लेना चाहता है तो सारे नाम निर्देशन पत्र वापिस लिए गए माने जायेंगे।

21. यदि कोई मतदाता अपने मत को सार्वजनिक कर मतदान करता है तब क्या प्रक्रिया होती है? क्या वह मतदान निरस्त किया जा सकता है ?
यदि कोई व्यक्ति मतदान के समय अपना मत को सार्वजनिक करता है तो मतदान अधिकारी को उसका मत खारिज करने का अधिकार है।

22. मतदाता सूची में नाम कब तक जोडे जा सकते है।
मतदाता सूची के नाम लोकसूचना जारी हाने से पूर्व तक ही जोडे जा सकते है साथ इस हेतु आवेदन आयोग के आदेश क्रमांक एफ–7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/6768, दिनांक 15.10.2016 के अनुसार लोक सूचना जारी होने से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक है।

23. सरपंच पद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के क्या प्रावधान है।
अध्यक्षों और उपाध्यक्षों में अविश्वास का प्रस्ताव–
    1. किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करने वाला कोई प्रस्ताव अगली उप–धाराओं में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।
    2. प्रस्ताव करने के आशय का ऐसा लिखित नोटिस, जो संबंधित पंचायती राज संस्था के प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्यों के एक–तिहाई से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति के सहित, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिशः परिदत्त किया जायेगा।
    3. सक्षम प्राधिकारी तत्पश्चात्–
        1. नोटिस की एक प्रति, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति के सहित, सरपंच या उप–सरपंच के मामले में पंचायत को, प्रधान या उप–प्रमुख के मामले में जिला परिषद् करेगा;

2. प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यालय पर, उसके द्वारा नियत तारीख को, जो उस तारीख से तीस दिन के पश्चात् की नहीं होगी, जिसको उप–धारा(1) के अधीन उसे नोटिस परिदत्त किया गया था, बैठक बुलायेगा; और
3. सदस्यों को ऐसी बैठक का कम से कम सात दिवस (पूर्ण दिवस) का नोटिस ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाये।

स्पष्टीकरणः– इस उप–धारा में विनिर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की गणना करने में वह कालावधि, जिसके दौरान किसी बैठक का बुलाया जाना किसी न्यायालय द्वारा रोक दिया जाता है, अपवर्जित कर दी जायेगी।

4. सक्षम प्राधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा; परन्तु यदि, वह ऐसा करने में असमर्थ है तो, उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी इस प्रकार अध्यक्षता करेगा।
5. उप–धारा(3) के अधीन बुलायी गयी कोई बैठक स्थगित नहीं की जायेगी।
6. जैसे ही इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक प्रारम्भ होती है, जिस पर विचार करने के लिए वह बैठक बुलायी गयी है और उसे विचार–विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा।
7. इस धारा अधीन प्रस्ताव पर कोई भी विचान–विमर्श स्थगित नहीं किया जायेगा।
8. ऐसा विचार–विमर्श बैठक के प्रारम्भ के लिए नियत समय से दो घण्टे के समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगा, यदि वह इससे पहले समाप्त नहीं हुआ हो। विचार–विमर्श के समाप्त हो जाने पर या दो घण्टे की उक्त कालावधि की समाप्ति पर इनमें से जो भी पहले हो, प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा।
9. अध्यक्षता करने वाला अधिकारी प्रस्ताव के गुणागुण पर नहीं बोलेगा और वह उस पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।
10. बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, प्रस्ताव की प्रति के सहित और उस पर के मतदान का परिणाम, बैठक की समाप्ति पर, अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा–
    (क) किसी पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में – संबंधित पंचायत और ऐसी पंचायत पर अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को;
    (ख) किसी पंचायत समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में– संबंधित पंचायत समिति और ऐसी पंचायत पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद को;
    (ग) किसी जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में तुरन्त अग्रेषित किया जायेगा – संबंधित जिला परिषद और राज्य सरकार को;
11. यदि प्रस्ताव संबंधित पंचायती राज संस्था के निर्वाचित सदस्यों के (तीन–चौथाई) के अन्यून के समर्थन से पारित हो जाये तो–
    (क) अध्यक्षता करने वाला अधिकारी इस तथ्य को, संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यालय के सूचना–पट्ट पर उसका एक नोटिस चिपका करके और उसे राज–पत्र में अधिसूचित करवा करके प्रकाशित करायेगा; और
    (ख) संबंधित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस तारीख को और उससे, उत्त नोटिस पूर्वोक्त कार्यालय के सूचना–पट्ट पर चिपकाया जाता है, इस रूप में पद धारण करना बंद कर देगा और पद रिक्त कर देगा।
12. यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या यदि गणपूर्ति के अभाव के कारण बैठक नहीं की जा सकी हो तो, उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करने वाले किसी पश्चात्वर्ती प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।
13. इस धारा के अधीन प्रस्ताव को कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं दिया जायेगा।
14. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान करने के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की एक–तिहाई से होगी।

24. उपसरपंच चुनाव में क्या सरपंच अपना मताधिकार का उपयोग कर सकता है।
हां, राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 65 एवं 66 का प्रावधान अवलोकनीय है।

पंचायत समिति सदस्य/ जिला परिषद सदस्य

1. पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य के लिए कौन चुनाव लड़ सकता है?
पंचायत समिति सदस्य के लिए वह व्यक्ति जिसका उस पंचायत समिति क्षेत्र के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम है, किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार जिला परिषद् सदस्य हेतु उसका जिले में किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम है वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है।

2. चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि है।
पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य के लिए सामान्य वर्ग हेतु 500 रू है तथा आराक्षित वर्ग एवं महिला हेतु 250रू है।

3. पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है?
पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य के चुनाव लड़ने हेतु उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी नहीं है। संबंधित संस्था के किसी भी वार्ड का मतदाता हो सकेगा।

4. पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्या उसे राजस्थान राज्य की शैक्षिणक योग्यता रखना जरूरी है या नहीं?
पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य के लिए अभ्यार्थी का 10वीं पास होना जरूरी है। वह किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है।

5. कोई भी अभ्यार्थी एक साथ कितने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
एक अभ्यार्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

6. क्या कोई व्यक्ति दो वार्डो से फार्म भर सकता है?
पंचायत चुनाव में दोहरी अभ्यार्थिता पर प्रतिबन्ध है। फार्म तो भर सकता है लेकिन चुनाव एक ही स्थान से लड़ सकता है। अन्य दूसरे वार्ड से उसे अभ्यार्थिता वापिस लेनी होगी अन्यथा दोनों जगहों से अभ्यार्थिता निरस्त हो जायेगी।

7. कोई व्यक्ति सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला कार्मिक है तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है?
राज्य सरकार से किसी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।

8. पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य अपना Election Agent नियुक्त कितने व कैसे कर सकते है।
पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य चुनाव हेतु अपना एक Election Agent नियुक्त कर सकता है।

9. पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में कुल खर्च की सीमा कितनी है।
पंचायत समिति सदस्य 40000रू व जिला परिषद् सदस्य हेतु 80000रू निर्वाचन व्यय की सीमा है।

10. पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य चुनाव प्रचान हेतु कितने वाहन प्रयोग में ला सकता है ?
जिला परिषद् सदस्य अधिकतम दो तथा पंचायत समिति सदस्य हेतु अधिकतम एक वाहन प्रयोग में ले सकता है।

11. यदि किसी व्यक्ति ने चुनाव में दो या अधिक फार्म भरे है तो क्या वह अपने फार्म को वापिस ले सकता हैं?
पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र नहीं अभ्यार्थिता वापस लेने का प्रावधान है। कोई भी नाम निर्देशन पत्र वापिस लेने पर वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।

12. पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य कितने counting agent नियुक्त कर सकता है।
प्रत्येक मतदान टेबिल हेतु एक व RO Table हेतु एक Counting Agent नियुक्त कर सकता है।

13. चुनाव लड़ने हेतु क्या उम्मीदवार के घर में शौचालय होना जरूरी है?
हाँ, पंचायत चुनाव में नवीन प्रावधान के अनुसार अभ्यार्थी के घर में क्रियाशील शौचालय होना अनिवार्य है।